सत्यमेव जयते

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

"नई रोशनी"

अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ''नई रोशनी'' अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–20 के लिए पात्र संगठनों/संस्थाओं से **ऑनलाईन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) के माध्यम से पैनल में शामिल करने के लिए ऑनलाईन आवेदन** आमंत्रित करता है।

आवेदन केवल ऑनलाईन स्वीकार किए जाएंगे : मंत्रालय द्वारा ना तो ऑफलाईन आवेदन और ना ही हार्ड प्रतियां स्वीकार की जाएंगी।

वर्ष 2017–20 के लिए पैनल में शामिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तारीख	**27 अक्तूबर, 2017**

महत्वपूर्ण अनुदेश

- **ऑनलाईन आवेदन पत्रों को भरने के लिए विस्तृत स्टेप्स मंत्रालय की वेबसाईट www.minorityaffairs.gov.in पर ''व्हाट इज न्यू'' से डाउनलोड किए जा सकते हैं।** ऑनलाईन आवेदन तद्नुसार भरा जाए और एक प्रिंट आउट ले लिया जाए, जिसे जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त की संस्तुति के लिए निर्धारित 'एक पृष्ठ का फॉर्मेट' और प्रत्यय–पत्रों के साथ जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त को प्रस्तुत किया जाए। निर्धारित 'एक पृष्ठ का फॉर्मेट' ओएएमएस पर 'फॉर्म्स' के अंतर्गत उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।
- **ओएएमएस पर जाने के लिए, मंत्रालय की वेबसाईट पर 'नई रोशनी' लिंक/आईकॉन पर क्लिक करें।**
- जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त को, संगठन को संस्तुत करते समय, आवेदक संगठन के अध्यक्ष/सचिव को भी एक प्रति पृष्ठांकित करना होगा। संगठन पोर्टल पर संस्तुत पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करें और ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की 'पुष्टि' करें।
- ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने पर, एक आवेदन आईडी और प्रस्तुत करने की तारीख जेनरेट की जाएगी जिसे संगठन भविष्य में संदर्भ के लिए अवश्य अपने पास रखेंगे।
- आवेदन, पैनल में शामिल किए जाने की स्थिति, अनुमोदनों, संस्वीकृतियों, रिलीज आदि के बारे में अद्यतन स्थिति ओएएमएस के पोर्टल पर ही उपलब्ध कराई जाएगी।
- एक संगठन पैनल में शामिल होने के लिए एक जिले से केवल एक ऑनलाईन आवेदन भर सकता है। प्रत्येक जिले के लिए, जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त की अलग–अलग संस्तुति अनिवार्य होगी। तथापि, एक जिले से अधिक के लिए पैनल में शामिल होने के लिए एक संगठन से आवेदन पर विचार पूर्ण रूप से मंत्रालय ही करेगा। इस संबंध में मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा और संगठन पर बाध्यकारी होगा।
- संगठन को नीति आयोग एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ नामांकित होना चाहिए।
- ऐसे संगठन जिन्होंने पहले भी इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं क्रियान्वित की है, उन्हें भी जिला संस्तुति और आवश्यक दस्तावेजों के साथ नए सिरे से आवेदन करना होगा। उन्हें वर्ष 2017–20 चयन प्रक्रिया के लिए नए आवेदक के रूप में माना जाएगा।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पास बिना कोई कारण बताए, बिना किसी शर्त अथवा दायित्व के किसी अथवा सभी प्रस्तावों को प्रक्रिया के किसी चरण पर स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, प्रक्रिया अथवा किसी भी समय उसके किसी भाग को रद्द करने अथवा संशोधित करने अथवा किसी नियम और शर्त को बदलने का अधिकार है।

किसी सूचना के लिए मंत्रालय की समाधान हेल्पलाईन –1800–11–2001 (टोल फ्री) से अथवा ओएएमएस पर दिए गए संपर्क से सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।

मदद हमारी - मंजिल आपकी